

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

APP-A  
FORM-1

मुकाम \_\_\_\_\_  
वनाम \_\_\_\_\_  
नं. 138 सन् 2012  
किस्म मुकदमा प्रवेण पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-5-17	<p>पञ्जावली शरणरव लोकर इदालत के इस बयान पर पेका इहे। पञ्जावी एवं विपचीगण के कथन काड ताकिम। इदक ताकिम प्रका नही इहे। तदन्वीलदर सोडम के मोका रिपोर्ट प्रका इहे। किमे प्राकिम पञ्जावली जी गप्पी। पञ्जावी एवं विपची उपस्थित नही।</p> <p>मेने पञ्जावली का इवलोकन दिवा. तथा मोका रिपोर्ट पर मनन दिवा गप्पी। विनाकिम इनाकिमल ग्ज जोकिन्दपरा तदन्वील सोडम जिला श्रीलवाडा में रिवा दोकरु इराजी नं. 580 इकरा 2 बीघा शर्ह प्राकिम का कावेकन इहे। तथा प्राकिम एना कलर प्रीक. पञ्जावली रावि जमा इराक. तथा 2 बीघा शर्ह. किपदगी के प्रीगप्पी। किमरी तरेक प्रवरा इवेकन इवेकन पर किपदगी तथा श्री दोरक प्ररी. के होती हे। किपदगी तरे के कात्र नरना हेक प्रवरा दिवा, किमे 2 बीघा शर्ह. प्राकिम का दिवा जान इदिता हे। इराजी नं. 580 के 2 बीघा शर्ह. गलेवर 510 तार कुसावतका भी कावेकन इहे। किमरी तरेक प्रवरा इवेकन इवेकन पर किपदगी नामा नरना हेक के होती हे। प्रवरा इरसावेजे व प्राकिम पर के इदिता तरेक के इकरा इराजी नं. 580 खिलाता शर्ह की। किमे के 2 बीघा शर्ह प्राकिम के कावेकन इहे। गलेक के काड 2 बीघा शर्ह. प्राकिम के किपदगी के ही गप्पी। दिव किपदगी के मरु प्राकिम के किमे जगह पर तरेक किपद. दिवा व तरेक के खिला नही होता। खिला नही होके हे</p>	<p>30/5/17</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>

प्राथमिक एवं विपरीत के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ।  
 जिकर में मोर रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त मोर रिपोर्ट  
 के अनुसार इराजी नं० 1328/580 रकबा 2 बीघा 300  
 प्राथमिक के गच होकर काबिल है इसी तरह इराजी नं०  
 1329/580 रकबा 1 बीघा 300 विपरीत नं० 1 के गच होकर  
 काबिल है जिकरी तहसील प्रस्ताव पत्र के मोर रिपोर्ट 3-5-7  
 के होती है, जबकि अनुसार प्रस्ताव नजरी नम्बर के लकिन  
 का (लास-बाही) के मोर रिपोर्ट नहीं बन रहा है, उन्हा अनुसार  
 ही तहसील की ई ई होके रु प्राथमिक एवं विपरीत के गच है  
 किन्तु विपरीत नं० 2 के प्राथमिक पत्र के अनुसार प्रस्ताव  
 जबकि के अनुसार पत्र जिसके के प्राथमिक पत्र प्रस्ताव  
 प्राथमिक खारीज होकर इसी प्रकार ही दादनी प्राप्त  
 करके का इतिहासी नहीं है, इन्हा कारण के मोर रिपोर्ट  
 उपरोक्त विवेचन के अनुसार मोर रिपोर्ट अनुसार  
 प्राथमिक पत्र प्राथमिक पत्र के लिए करके के अनुसार  
 रकबा के कारण प्राथमिक पत्र स्वीकार दिया जायगा  
 कसबत है, हा:

०० होदर ००

प्राथमिक का प्राथमिक पत्र नं० 136 LR 84  
 का स्वीकार दिया जाकर जात ~~के अनुसार~~ जेकि-पत्र  
 पत्वार हतल चौदराक तहसील मोर रिपोर्ट जिला भीलमर  
 में विवाद हाल इराजी नं० 1323/580 रकबा 2 बीघा  
 काही जा हाल नम्बर के 1329/580 दर्ज दिया जाके के  
 पत्र: के मोर रिपोर्ट नं० 1323/580 दर्ज <sup>(तहसील)</sup> जाके के मोर रिपोर्ट  
 दिए जाके है उन्ही अनुसार हाल नजरी नम्बर के  
 मोर रिपोर्ट जबकि के अनुसार इराजी नं० 1323/580  
 रकबा 2 बीघा अनुसार तहसील दिया जाके, निर्णय की  
 पालना दिए जाके हेतु मोर रिपोर्ट के लज्ज करके  
 34 तहसील इराजी नं० 1323/580 का पालना हेतु निर्णय पत्र  
 पत्रवाली के अनुसार ही जाकर कसबत काबिल है

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल